

प्रपत्र-ख (1)

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रस्तावक द्वारा दिये जाने वाले

शपथ-पत्र

संजय ठाकुर

पिता/पति

लक्ष्मण ठाकुर

उम्र 49

वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत

मुजफ्फरपुर

के वार्ड संख्या 40

मोहल्ला

बाना कुम्हार साह मजार उपास

नई बाजार पोस्ट प्रयाग नगर

जिला

मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हैं, तथा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हैं:-

कि मैं *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत

मुजफ्फरपुर

के वार्ड संख्या 40

से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने

वाले अभ्यर्थी

आरिन्द कुमार

का प्रस्तावक हैं,

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) के प्रावधानों से पूर्णतः अवगत हैं;

कि मैं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत

मुजफ्फरपुर

के वार्ड 40 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के प्रस्तावक/सुमर्त्यक बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हैं;

कि मैं ऊपर कोई आपराधिक मामला देश के भीतर या बाहर के किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

या

मेरे ऊपर आपराधिक मामलों से संबंधित सूचनाएँ (सुस्पष्ट एवं पठनीय, क्रमांक देते हुए) निम्नवत है:

1. देश के भीतर या बाहर के न्यायालय का नाम जहाँ आपराधिक मामला लंबित है- शून्य
2. वाद संख्या- शून्य
3. आरोप की प्रकृति एवं लगाई गई धाराएँ- शून्य

स्थान- मुजफ्फरपुर

दिनांक- 23.9.2022

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/आय कमिशनर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

The Deponent Identified
Advocate has Solemnly declared
before me

NOTARY MUZAFFARPUR (BIHAR)

प्रस्तावक का हस्ताक्षर